


28/10/24

वकास अपीलान्ट उपस्थित। अपीलान्ट को
कोर्ट द्वारा रेस्पॉन्डेंट सं० 2/1 एग० 2/3 को
रेजिस्टर्ड एडी द्वारा तलब करने हेतु काफी समय
देने के बावजूद पालना नहीं किया जा रहा
है। अतः अडम दायरी में बसुलक अपील
स्वीज किया जाता है। कोर्ट का समय व्यर्थ
करने के लिये 1,000/- (एक हजार रु०) दंड जमा
करने का आदेश दिया जाता है।


श्रीनिधि बी टी
जिला कलक्टर, धौलपुर